

12.09.2025

To,

**The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38
Symbol: DHAMPURSUG**

**The General Manager – DSC
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
Tel No. 022-22722039/37/3121
Security Code: 500119**

Dear Sir,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement

Please find enclosed the copies of Business Standard (English and Hindi Edition) published today pertaining to 100 Days Campaign- “Saksham Niveshak” - for KYC and other related updations and shareholder engagement to prevent Transfer of Unpaid /Unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund (IEPF) (Second Reminder).

The advertisement copies will also be made available on the Company’s website at the following web link: www.dhampursugar.com.

You are requested to take the information on record.

Thanking you,
Yours Faithfully,
For Dhampur Sugar Mills Limited

**Aparna Goel
Company Secretary
M. No.- 22787**



इंडसइंड बैंक, 499, प्रथम तल, कोहट एन्क्लेव, पीएमपुरा, नई दिल्ली - 110034

स्वर्ण की ई-नीलामी सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित उपकरणकर्ताओं ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड से स्वर्ण ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। ऋण की पुनर्मुतातन में विकसता और अनुबंध की शर्तों और नियमों के उल्लंघन के कारण। इन ऋण के विरुद्ध बंधक रखे गए। स्वर्ण अव सार्वजनिक शोर्तों के लिए खोले जाने वाले हैं। अनुपलब्ध नीलामी की प्रक्रिया / शर्तों राशि उन्हे/ उपकरणकर्ताओं के संबंधित ऋण खाते और संबंधित ऋण खातों में जमा की जाएगी। स्वर्ण जो रखा गया है, उसे " जो है जहाँ है ", जो है जैसा है और वहां जो कुछ भी है " आधार पर नीलाम किया जाएगा। नीलामी में मांग लेने वाले इच्छुक बोलीदाताओं को इंडसइंड बैंक कि वेबसाइट www.indusind.com और स्वीकृत नीलामी सेवा प्रदाता की शर्तों और नियमों के पालन करने की आवश्यकता है।

नीलामी का आयोजन इंडसइंड बैंक अनुमोदित सेवा प्रदाता सी1 इंडिया लिमिटेड के माध्यम से, उनके वेब पोर्टल www.bankeauctions.com द्वारा किया जाएगा।

बोली दस्तावेज, घोषणा, सामान्य शर्त और नियम, ये संदर्भ के लिए इंडसइंड बैंक कि वेबसाइट www.indusind.com पर और सेवा प्रदाता की वेबसाइट अर्थात्, www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है।

प्राधिकृत अधिकारी विक्री के किसी भी शर्त और नियम को संशोधित या परिवर्तित का अधिकार अपनी पूरी विवेकीनता में सुरक्षित रखता है।

जीएल खाता सं.	ग्राहक का नाम	शाखा	शाखा संपर्क सं.	ग्राम में स्वर्ण का भार
704001177289	शशीक	इंद्रमथ एक्सटेशन	8860832367	113.3 ग्राम

बोली जमा करने की अंतिम दिनांक इस सूचना की दिनांक से 16.09.2025 का अपराह्न 05:00 बजे तक।

उधारकर्ता नीलाम के 17.09.2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे।

उधारकर्ता की दिनांक के प्रारंभ होने से पहले पूरे ऋण को चुकाने का विकल्प रखते हैं। ऐसा करने पर ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शर्तों और नियमों के अनुसार बंधक रखे गए स्वर्ण को वापस ले सकते हैं।

दिनांक: 12.09.2025


स्थान : नई दिल्ली/ उत्तर प्रदेश

प्राधिकृत हस्ताक्षर

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

<div>DBO</div>	
	
धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	
पंजी. कार्यालय: धामपुर मिल परिवार, ग्राम अरुणोली, संतल, मुरारखाना, यु.पी.—244304 CIN: L15100UP2020PLC13693९, फ़ोन: +९1-7३02318313	
ई—मेल: investors@dhampur.com, वेबसाइट: www.dhampur.com	
शेयरधारकों को सूचना	
100 दिन का अभिान—सक्षम निवेशक	
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ") द्वारा शुक्र किए गए सक्षम निवेशक अभियान के संदर्भ में, हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि:	
(1) अपना केवाईसी (स्थायी खाता संख्या), बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, शाखा का नाम और पता, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड), नामित व्यक्ति और संपर्क जानकारी (डाक पता, ईमेल और टेलीफोन नंबर) अपडेट करें;	
(2) अपनी होल्डिंग्स सत्यापित करें और किसी भी अवैतनिक लाभांश या आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए शेयरों का दावा करें। इसके अलावा, शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2022–2३ से 2024–२५ तक अपने अवैतनिक लाभांश का दावा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है ताकि उनके शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में स्थानांतरित होने से रोकना जा सके;	
(3) उपरोक्त के लिए या अवैतनिक लाभांश और शेयरों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने पर नीचे दिए गए विवरण पर कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") से संपर्क करें।	
कंपनी के साथ पत्राचार	आरटीए के साथ पत्राचार
श्रीमती आरा रावत, कंपनी सचिव धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, द्वितीय तल, 201 ओखता औद्योगिक एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली – 110020 फोन: ०11–6905 ६200, ईमेल: investors@dhampur.com	मेसर्स अलंकिट कार्पाइज लिमिटेड, अलंकिट हाउस, 205–208 नारारकली कॉम्प्लेक्स, इंदरोलान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055 फोन: ०11 – 4254 1234, 23541234, ई—मेल: rla@alankit.com, info@alankit.com
स्थान : नई दिल्ली	हस्ता./—
दिनांक: 12 सितम्बर, 2025	आरा रावत कंपनी सचिव

<div></div>	
इंडसइंड बैंक	
पंजी. कार्यालय: पीएनए हाउस, पडली मंजिल, ६7 व ५7 / 1, एमआईडीसी, अंधेरी (ई), मुंबई 4000९३ Website: www.indusind.in	
कच्चा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 200२ के नियम ८(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम नं. 2002 का ५4) (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 200२ के नियम ३ के साथ पठित धारा 1३(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ३1.0६.2025 तक उक्त सूचना में वर्णित राशि रु. ३,1३,९1,480.67 /— (रुपए तीन करोड़ तेरह लाख इश्यावन हजार चार सौ अस्सी व सड़सठ पैसे केवल) का भुगतान करने के लिए ऋण खाता DB0२2823N & DDV00349N के तहत ऋणी और सह—ऋणी मेसर्स मारुति एग्रो इम्युलिफियर इंडस्ट्रीज—इसके पार्टनर श्री राहुल गुप्ता व श्री अशोक गुप्ता (ऋणी), मेसर्स मारुति पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज— इसके पार्टनर श्रीमती पूजा गुप्ता व श्रीमती डिम्प्री गुप्ता, श्री राहुल गुप्ता, श्री अशोक गुप्ता, श्री डिम्प्री गुप्ता, श्री डिम्प्री गुप्ता व श्रीमती कीना गुप्ता (सह—ऋणी) को बुलाने के लिए यहां पंजीकृत डाक के माध्यम से मांग सूचना दिनांक 2६.0६.20२५ को जारी की थी। ऋणी/ सह—ऋणी(यों) राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने उक्त निगमावली के नियम ८ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 1३(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 0६ सितंबर, 2025 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी/ ऋणियों और सर्वसाधारण को संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन—देन लागतों, शुल्कों, उत्पन्न व्ययों के सहित उसपर भावी ब्याज और 0९.0६.2025 व 10.0६.2025 तक राशि रु. ३,1३,९1,480.67 /— (रुपए तीन करोड़ तेरह लाख इश्यावन हजार चार सौ अस्सी व सड़सठ पैसे केवल) के लिए इंडसइंड बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।	
अचल संपत्तियों का विवरण संपत्ति—1 : निर्मित फ्रीहाल्ड संपत्ति नं. सी ५4, के पूरे गाउंड पलोर, वजीरपुर आवासीय स्कीम फेज—1, अशोक विहार के रूप में ज्ञात, फेज—1, दिल्ली 110052 के सभी भाग व शेज छत / टेरसि अधिकारों के बिना, क्षेत्र माप 1६7.22 वर्ग मीटर, पारिट्रिशियन डीड के तहत, ३1.८, 020 को रजिस्ट्रर, रजिस्ट्रेशन नं. 7191, सुश्री गीता गुप्ता के पक्ष में, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्व : प्लॉट नं. ५३, उत्तर : सड़क ३0, पश्चिम : प्लॉट नं. 55, दक्षिण : लेन 1५' संपत्ति—2 : निर्मित फ्रीहाल्ड संपत्ति नं. सी ६4 के पूरे फस्ट प्लोर, वजीरपुर आवासीय स्कीम फेज—1, अशोक विहार के रूप में ज्ञात, फेज—1, दिल्ली 110052 के सभी भाग व श, लीसरी मंजिल के खाली छत / टेरसि अधिकारों के 25 प्रतिशत शेयर के सहित, क्षेत्र माप 1६7.22 वर्ग मीटर, निपट डीड के तहत, 2३.12.2021 को रजिस्ट्रर, रजिस्ट्रेशन नं. 17८६६ सुश्री पूजा गुप्ता व सुश्री डिम्प्री गुप्ता के पक्ष में, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्व : प्लॉट नं. 5३, उत्तर : सड़क 30, पश्चिम : प्लॉट नं. 55, दक्षिण : लेन 1५'	
दिनांक: 0६.09.2025 स्थान: दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स इंडसइंड बैंक लि

<div></div>	
सीएसबी बैंक लिमिटेड आंचलिक कार्यालय: प्रथम और दूसरा तल, समताल धर्म चर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, 20, साउथ पटेल नगर, दिल्ली-11000८	
परिशिष्ट IV	
नियम ८(1) देखें	
कच्चा नोटिस	
(अचल संपत्ति हेतु)	
जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन [अधिनियम, 200२ (2002 का ६4)] के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम ३) के साथ पठित धारा 1३(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सीएसबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अघोहस्ताक्षरी ने मांग नोटिस दिनांकित 11.0६.201८ जारी किया था जिसमें कर्जदार श्री राजीव शंकर तिवारी पुत्र श्री चमेश तिवारी, सी—2९, पडली मंजिल, गली नंबर 1३, राशि गार्डन, मयूर विहार, फेज 1, नई दिल्ली—1100९1 और श्रीमती मंजू तिवारी पत्नी श्री राजीव शंकर तिवारी सी—2९, पडली मंजिल, गली नंबर 1३, राशि गार्डन, मयूर विहार फेज—1, नई दिल्ली—1100९1 से नोटिस में उल्लिखित दिनांक ३1.0६.201८ को संपत्ति के विरुद्ध ऋण के लिए राशि रु. ९८,0६,५15 /— दिनांक 01.0६.201८ से प्रभावी मासिक शेषों के साथ वार्षिक 12.74% की दर से भावी ब्याज और पुनर्मुग्तन के पूर्ण भुगतान की तारीख तक लागू दंड स्वरूप ब्याज और अन्य लागतों एवं व्ययों, यदि लागू हों, को उक्त नोटिस प्राप्त की तारीख से ६0 दिनों के अंदर चुकता करने की मांग की गई। कर्जदार और जमानती के राशि चुकाने में असफल रहने पर कर्जदार और जमानती तथा सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम ८ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 1३ की उप—धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अघोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का ६ सितंबर, 2025 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और जमानती तथा सर्व साधारण को सामान्य रूप में उक्त संपत्ति से कोई लेन—देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति से कोई भी लेन—देन दिनांक ३1.05.201८ को संपत्ति के विरुद्ध ऋण के लिए राशि रु. 9८,0६,५15 /— दिनांक 01.0६.201८ से प्रभावी मासिक शेषों के साथ लागू वार्षिक ब्याज दर से ब्याज और पुनर्मुग्तन के पूर्ण भुगतान की तारीख तक लागू दंड स्वरूप ब्याज और अन्य लागतों एवं व्ययों, यदि लागू हों, के लिए सीएसबी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। [प्रत्यमुक्त परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय के संबंध में मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 1३ की उप—धारा (६) के प्रावधानों में कर्जदार का ब्याज काटकर दिया जाता है।]	
अचल संपत्ति का विवरण	
मेसर्स फारमिड प्रोपार्टर के नाम में इसके प्रोपराइटर श्री राजीव शंकर तिवारी के मकाम में, गाटा संख्या ३77, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, गाँव सिमरौली, परगना— टप्पाल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) स्थित प्लॉट नाम 1.५९1 हेक्टेयर के समस्त भाग व खंड के स्वात्तित्त विलेख के जमा द्वारा बंधन, जिसका विस्तृत विवरण विक्री विलेख संख्या ५7५2 / 12 दिनांक 24.05.2012 में दिया गया है और विराजी सीमा निगमपुरा धर— पूर्व: गाटा संख्या 372 से; पश्चिम: सतौरा की कृषि भूमि; उत्तर: अर्चना की कृषि भूमि; दक्षिण: भोतू की कृषि भूमि	
दिनांक: 0६.09.2025 स्थान: नई दिल्ली	हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी (सीएसबी बैंक लिमिटेड)

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ के सम्मक्ष नई दिल्ली सीपी (सीएफ) नं. 7 / एफजी / 202५	
सम्बद्ध सीए (सीएफ) नं. 45 / एफजी / 2024	
कंपनी अधिनियम, 201३ की धारा 2३0–2३2 और अन्य लागू प्रावग प्रबंधकों के मामले में कंपनी (समझौता व्यवस्था और समागमन) नियम, 201६ के साथ पढ़े और	
व्यवस्था की योजना के मामले में:	
फाइनोस मॉड्यूलर कंपनी लिमिटेडहस्तांतरणकर्ता/ याधिकारकर्ता कम्पनी नं. 1 और	
बलार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेडहस्तांतरित/ी याधिकारकर्ता कम्पनी नं. 2	
(संयुक्त रूप से “याधिकारकर्ता कम्पनियां”) याचिका की सूचनाहस्तांतरित/ी याधिकारकर्ता कम्पनी नं. 2	
उपरोक्त नामित याधिकारकर्ता कंपनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 201३ की धारा 2३0–2३२ के अंतर्गत फाइनेंस मॉड्यूलर कंपनी लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता) / याधिकारकर्ता कम्पनी नं. 1) के साथ बलार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरित) / याधिकारकर्ता कम्पनी नं. 2) के बीच व्यवस्था की योजना के संबंध में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 201३ की धारा 2३0–2३२ के अंतर्गत 01 सितम्बर, 2025 को एक याचिका प्रस्तुत कि गई थी। सूचना जारी की गई और कथित याचिका पर माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ के सम्मक्ष चुनाई की तिथि २7 अक्टूबर, 202५ निर्धारित की गई है।	
कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो वह याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को अपने आग्रय की सूचना, अपने नाम और पते सहित अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर सहित याचिका की सुचनाई के लिए निर्धारित दिन से कम से कम दो (२) दिन पूर्व याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के पास भेज सकता है। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध का आधार या शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाए। याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता द्वारा याचिका की प्रति की मांग करने वाले व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।	
हस्ता /— अधिवक्ता अरुण सक्सेना सक्सेना एंड सक्सेना लॉ चैम्बर्स एडवोकेट्स एंड अर्टर्नी याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता ६02–६03, नई दिल्ली हाउस, 27 बारायतना रोड, नई दिल्ली–110001 ई मेल आईडी: advisor@ssilegal.com फोन : 011–4३044999	

<div></div>	
हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कॉरपोरेट कार्यालय: 1६7-1६9, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सेनापेट, चेन्नई-६0001५ तथा शाखा कार्यालय: एफ३, पडली मंजिल, मालक्की हाउस, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद-201010	
अधिकृत अधिकारी: श्री अंकित गार्ग, सम्पर्क सं.: ९6५4060८8१ ईमेल आईडी: ankit.garg@hindujahousingfinance.com	
निजी समझौता विधि के माध्यम से विक्री की सूचना	
वित्तीय समितियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण हित अधिनियम 200२ (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत एतद्वाराफल के मा प्राप्तिपर घत एवं अदत्त परिणामों की विक्री	
एतद्वाराफल के अधिकृत अधिकारी के रूप में अघोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूचित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। बड़े ममाने पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए एतद्वाराफल को खरीदकर नियमों के अनुसार निजी समझौते के माध्यम से अनुसूची में उल्लेखित प्रत्यामूल संपत्ति “जैसा है जहाँ है” और “जैसा है जो है” के आधार पर विक्री के लिए उपलब्ध है। निजी समझौते के माध्यम से संपत्ति की विक्री के माफक प्रियम और शर्त निम्नानुसार हैं:	
१. निजी समझौते के माध्यम से “जैसा है जहाँ है” और “जैसा है जो है” के आधार पर विक्री की जाएगी।	
२. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए एतद्वाराफल के प्रस्ताव की स्वीकृति की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस को विक्री मूल्य का 2५% और उसके बाद 1५ दिनों के भीतर शेष राशि जमा करना करनी होगी।	
३. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित रकम की 10% रकम जमा करनी होगी, जिसे उपरोक्त अनुच्छेद (2) के अनुसार जमा किए गए 2५% की शेष राशि के तहत समायोजित कर दिया जाएगा।	
4. उपरोक्त अनुच्छेद (२) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, पहले से भुगतान की गई रकम सहित आवेदन के साथ जमा की गई 10% राशि जब्त कर ली जाएगी।	
५. एतद्वाराफल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि निम्न विक्री वाली कर दी जाएगी।	
६. संपत्ति एतद्वाराफल को ज्ञात या अज्ञात सभी मंजूज और भविष्य के ऋणभारों के साथ विक्री की जा रही है। अधिकृत अधिकारी/प्रत्यामूल ऋणदाता किसी भी तारीख से वारंट/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगी।	
७. क्रेता को अपनी स्तुष्टि के लिए संपत्ति (निजी समझौता के माध्यम से विक्री के तहत) से संबंधित सभी पदलुओं पर यथावधि परिश्रम करना चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में अधिकृत अधिकारी/ प्रत्यामूल ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हक्कदार नहीं होगा।	
८. एतद्वाराफल के पास बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	
9. एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में, एतद्वाराफल सर्वोच्च प्रस्ताव स्वीकार करेगी।	
10. इच्छुक पार्टियाँ आगे के विवरण/स्वीकार्यक तथा तिथिंक 2६.09.2025 को अग्रा उत्तरने पहले अपने आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया दिनांक 27.09.2025 को सम्पन्न कर लिया जाएगा।	
11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टैप्स हट्टुदी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्कों का वहन करना होगा।	
12. विक्री संबंधी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।	

अनुसूची सम्पत्तियों (प्रत्यामूल सम्पत्ति) का विवरण	
१. ब्लॉक ९ सरला विहार इस्टेट ग्राम लेनी में स्थित खसरा सं. 991 भिन में 60 वर्ग गार्ड यानी ५0.16६ वर्ग मीटर परिमाण की भूमि आंशिक मूल्य: रु. ६50000/- (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)	
२. ग्राम सुदुल्लयाम, एतल्लुएर केर विहार ब्लॉक ए के नाम से ज्ञात कोलनी में स्थित खसरा सं. ३92 एवं 39३ के हिस्से में 200 वर्ग गार्ड परिमाण क्षेत्रफल के प्लॉट पर निर्मित ६५0 वर्ग फीट परिमाण क्षेत्रफल का घन के अधिकतम के बगैर दूसरी मंजिल पर प्लेट नं. एतल्लुएर (ग्रामाने की और आवायस प्लेट) आंशिक मूल्य: रु. ९70000/- (रुपये नौ लाख सत्तर हजार मात्र)	
३. ग्राम लेनी, एतल्लुएर केर विहार के नाम में ज्ञात कोलनी परगना लेनी गाजियाबाद में स्थित खसरा सं. 1३05 के हिस्से में प्लॉट सं. एफ-53 पर निर्मित 400 वर्ग फीट परिमाण के सुपर विल्ट अप क्षेत्रफल का घन के अधिकतम के बगैर दूसरी मंजिल पर प्लेट नं. एतल्लुएर (एतल्लुएर) आंशिक मूल्य: रु. ६00000/- (रुपये छह लाख मात्र)	
तारीख: 12.0९.202५, स्थान: गाजियाबाद अधिकृत अधिकारी, हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड	

सार्वजनिक सूचना आम जनता को सूचित किया जाता है कि विद्युत्पादनगण और तथा स्टेशन प्लॉट संख्या 22८, क्षेत्रफल 12६.40 वर्ग फुट, 0६वां पार्क जय गौर युगा सिटी, प्लॉट—0३, मोरणापुर, सेक्टर—1९, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के उप प्लॉट विलेख दिनांक 24.0८.2022 के गद्यम में शामिल थे और तथा स्टेशनार की मूयू 02.04.2024 को हो गई, उनकी मूयू के बाद उनके पति विद्युत्पादनगण हस्तांतरण पत्र दिनांक 2८.05.202५ के अनुसार उपरोक्त संपत्ति संपत्ति के मालिक बन गए और अब, विद्युत्पादनगण उपरोक्त संपत्ति अखिलेश कुमार को बेच रहे हैं और उक्त संपत्ति का विरोधण आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संपत्ति में कोई अधिकार/हित/स्वामित्व है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अघोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रूप में वर्तमान से 1५ दिनों के भीतर सूचित करें। विवेक प्रबंधक, नॉर्थ आई एन्वायरंस नई दिल्ली, नोएडा, उत्तर-भी, सेक्टर-६2, नोएडा, उत्तर प्रदेश-2०1३0९ ईमेल आईडी: ncr@northeye.co.in सड़क संख्या—7५4177७२

सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विजय भूषण भाट्टाज और श्रीमती उषा विजय भाट्टाज, सूचना एन्क्लेव, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति संख्या 2३ की निर्मित पूरी दूसरी मंजिल के पूर्ण मालिक हैं (जिसे इसके बाद “इवेंट संपत्ति” कहा जाएगा)। संपूर्ण निर्मित संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज जैसे कि स्थायी प्लॉट प्लान विवरण दिनांक २0.0३.19९६, मूल ग्रेटेशन प्लान दिनांक 1९.0६.19९६, मूल ग्रेटेशन प्लान दिनांक 01.1२.2000, मूल हस्तांतरण विलेख दिनांक 1९.02.2001, और मूल जीपीए दिनांक 2८.07.२00८ और विद्युत कारप दिनांक 2८.07.200८, जो वर्तमान में सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये जो गए हैं /गुम हो गए हैं। इन उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में एक गुप्तवर्ती की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस अपराध शाखा नं L.R. No. ३19८९2३/2025 दिनांक 11.०९.202५ को दर्ज की गई है। मालिक ने दावा किया है कि उक्त संपत्ति सभी भाग से मुक्त है। और उन्होंने उक्त संपत्ति की विक्री के लिए श्रीमती राधा कौशला के साथ एक विक्री समझौते निष्पादित किया गया है, जो भारतीय स्टेट बैंक, एएएलसी थापर हाउस, जयपुरा नई दिल्ली से आधार ऋण या ऋण सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से संपत्ति पर बंधक या अन्याय एक भार बनने का इयाद करता है। किसी भी व्यक्ति या वित्तीय जो उपरोक्त सौए हुए दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार या हित का दावा करता है, या कोई आदि प्रस्ता है, तो इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकार की विलेख से 07 दिनों के भीतर उपरोक्त एसीआई बैंक के साथ—नाथ ईमेल पर ranjanjh3३1६@gmail.com पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। ऐसा न होने पर, ऐसा कोई भी दावा निरर्थक और अन्याय माना जाएगा, तथा संपत्ति का स्वात्तित्व स्पष्ट, विषय योग्य, दोषी या भारों से मुक्त माना जाएगा, तथा समग्रमूलक बंधक बनाने के लिए खुला माना जाएगा। नवीनजी विप्राटी, अधिवक्ता एएसी—६३, जयपुरिया सतगुरु खाना, सौराष्ट्रपुरम, गाजियाबाद, मॉबाइल नं. ९६९९0६८717

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that my client Mittul Mongia, son of Shri Sundar Dass, resident of FW03 302B M3M GOLF ESTATE SECTOR 65 Gurgaon, intends to purchase the property described herein below from Arvind Agarwal son of Vipin Chandra Agarwal and Mrs. Kavita Agarwal wife of Arvind Agarwal and both residents of B-30 Brij Vihar Pitampura Delhi 110034. Property Description: Independent residential house bearing No C 134 Mayfield Garden Sector 50 Gurgaon, Haryana, admeasuring 275 sq. yards, along with all rights, title and interest therein. Any person(s), institution(s), (bank(s), authority or entity having any claim, right, title, interest, lien, mortgage, charge, lease, tenancy, or objection whatsoever in respect of the said property is hereby called upon to make the same known in writing to the undersigned within 10(Ten) days from the date of publication of this notice. If no claim is received within the stipulated period, it shall be presumed that the said property is free from all encumbrances, claims, demands, disputes, attachments, litigation, mortgages, charges or liens of any nature, and my client shall proceed with the transaction accordingly.
Advocate Anju Sharma Mail id: advanjusharmagurgaon@gmail.com Phone No:- 94167६87५5

यूको बैंक

UCO BANK

शाखा कार्यालय : लोहारू (2488) जनपद भिवानी, हरियाणा पिन – 127201

परिशिष्ट IV (नियम 8 (1) देखें) अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम, 2002 (2002 का 54)] के अंतर्गत **यूको बैंक लोहारू** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के [नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक **31-05-2025** को **मांग सूचना जारी कर ऋणकर्ताओं श्री राम विलास पुत्र श्री याद राम, निकट वाटर टैंक, फरटिया रोड, लोहारू, जिला भिवानी 127201 और धनपति पत्नी याद राम, ग्राम कुब्जा नगर, तहसील बाढ़वा, जिला चरखी दादरी को सूचना में उल्लिखित रु. 8,74,953.25 (रुपये आठ लाख चौबहत्तर हजार नौ सौ तिरपेन तथा पच्चीस पैसे मात्र)** की राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों अंदर प्रतिभुगताान करने को कहा गया है।

ऋणकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, **09 सितंबर 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है।**

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन, रु. **8,74,953.25** की एक राशि तथा राशि पर ब्याज हेतु यूको बैंक के प्रभारधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो प्रतिभूत परिसंपत्तियों के ऋणमोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें 130 वर्ग गज (06 के 492) क्षेत्रफल वाला मकान शामिल है, जो 366 की 11एम की गैर-कृषि भूमि में से 4 / 731 वा अंश है, जो खेपट संख्या 766 / 708, खतीनी संख्या 921, खसरा संख्या 579 / 2(36-11) में समाहित है, जो वर्ष 2012-13 की जमावदी के अनुसार ग्राम लोहारू, तहसील- लोहारू, जिला भिवानी की राजस्व संपदा में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमा :— उत्तर- राजपाल की संपत्ति, दक्षिण- रास्ता, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- कृष्णा देवी की संपत्ति।

दिनांक : 09-09-2025

स्थान : लोहारू

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक